



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-593

New Delhi: 17.08.2020

Sh. Rajbahadur Singh
S/o Late Sh. Rameshwar Singh
Village-Kala Ka Purva
Post-Bhimsen, Rampur Bhimsen
Distt.-Kanpur Nagar
UP-209305

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 27.07.2020 received in this office on 30.07.2020.

Information as obtained from the concerned record holding office is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.


17/08/2020

(S.K. Roy)

Dy. G.M/Admn.(PIO)

E-mail: skroy@dfcc.co.in

011-23454707

DA: 01 sheet



डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No.: ALD (W)EN/RTI/49 -(Vol-IV)/241

Date: 13.08.2020

एस. के. रॉय
डी.जी.एम/एडमिन (पी.आई.ओ.)
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
नई दिल्ली।


विषय: जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राज बहादुर सिंह चन्देल के द्वारा माँगी गई वांछित सूचना।

सन्दर्भ: 1. आपका पत्रांक 2020/HQ/ADMIN/RTI-593 dt. 30.07.2020.
2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 24.07.2020।

महोदय,

जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत श्री राज बहादुर सिंह चन्देल द्वारा माँगी गयी सूचना के अन्तर्गत ग्राम रामपुर भीमसेन, तहसील सदर, जिला कानपुर नगर के गाटा संख्या 787, 788, 792, 793, 759 एवं 415 के सम्बन्ध में माँगी गई जानकारी का बिन्दुवार विवरण निम्न है:-

1. बिन्दु 1 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त गाटाओं से कुल 2.6750 हे० भूमि का अधिग्रहण डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड (विशेष रेल परियोजना) के निर्माण कार्य हेतु किया गया है।
2. बिन्दु 2 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि परियोजना का निर्माण कार्य विभिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। उक्त भूमि का भी सीमांकन कराया गया है एवं नियमानुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा।
3. बिन्दु 3 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि इससे सम्बन्धित दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।


(अजीत कुमार सिंह)
उप परि० प्र०/ए.पी.आई.ओ.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
इलाहाबाद (पश्चिम)